झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

<u>चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा</u> <u>पंचदश (बजट) सत्र</u>

<u>संख्या-11</u> <u>मंगलवार, दिनांक-05 फरवरी, 2019 ई०।</u>

<u>समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 04.15 बजे अप० तक।</u>

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

आसन ग्रहण करने के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा आज की कार्यसूची में त्रुटियों को सुधार कर पूरक कार्यसूची जारी किये जाने सम्बन्धी जानकारी सदन को दी गयी।

<u>1.प्रश्नकाल</u>:-

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या-15

(क) उत्तरित मात्र-01, 'क' 63-अ० सू०-18 श्री आलमगीर आलम, स० वि० स०।

(ख) **अनागत कुल-14,** अ० सू०-112 से अ० सू०-125 तक।

<u>2.आसन से नियमन</u>:-

माननीय मंत्री द्वारा दिये जा रहे उत्तर से माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य सहित पक्ष-विपक्ष के अधिकांशतः माननीय सदस्य असंतुष्ट थे जिसे देखते हुए इस विषय को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में सौंपते हुए दिनांक-07.02.2019 को भोजनावकाश के समय माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में विभागीय मंत्री, प्रश्नकर्त्ता सदस्य एवं सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी के साथ प्रश्न ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक आहूत किये जाने हेतु आसन से नियमन दिया गया।

<u>3.प्रश्नकाल (क्रमांक-01 से जारी)</u>:-

आज के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या-37

(क) उत्तरित कुल-02, तारां०-'क'404 श्री राज किशोर महतो, स० वि० स० एवं
तारां०-483 श्री चम्पाई सोरेन, स० वि० स०।

(माननीय सदस्य, श्री चम्पाई सोरेन द्वारा पूछे गये प्रश्न में अंकित 'हरिजन' शब्द पर आसन द्वारा आपत्ति जतायी गयी जिसे माननीय सदस्य ने वापस लिया, परन्तु प्रश्न शाखा द्वारा इसपर ध्यान नहीं दिये जाने को लेकर सभा सचिव को सम्बन्धित कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछे जाने हेतु निदेश दिया गया, साथ ही प्रश्नगत विषय की पुनः जाँचकर प्रतिवेदन दिये जाने हेतु विभागीय सचिव को भी निदेश दिया गया।)

क्र०पृ०उ०

(ख)अनागत कुल–35, तारां०–484 से तारां०–518 तक।

4.शून्यकाल:–

आज के लिए प्राप्त शून्यकाल की सूचनाओं को निम्न माननीय सदस्यों द्वारा आसन की अनुमति से पढ़ी गयी–

श्री नागेन्द्र महतो,
श्री दशरथ गागराई,
प्रो० जय प्रकाश वर्मा,
श्रीमती निर्मला देवी,
श्री दीपक बिरूवा,
श्री राज कुमार यादव,
श्री योगेश्वर महतो,
श्री नारायण दास,
श्री हरिकृष्ण सिंह,
श्री पौलुस सुरीन,
श्री ताला मराण्डी,
श्री केदार हजरा,
श्री रबीन्द्रनाथ महतो,
श्री जगरनाथ महतो,
श्री कुणाल षडंगी,
श्री प्रकाश राम,
श्री निरल पुरती,
डॉ० इरफान अंसारी,
श्री अरुप चटर्जी,
श्रीमती गंगोत्री कुजूर,
श्री शिवशंकर उरांव,
श्रीमती सीता सोरेन,
श्रीमती सीमा देवी,
श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,
श्री नमन विक्सल कोनगाडी,
श्री देवेन्द्र कुमार सिंह,
श्री राम कुमार पाहन,
श्रीमती बिमला प्रधान एवं
श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता।

5.सूचनायें:–

i- माननीय सदस्य, श्री ताला मराण्डी द्वारा सेना बहाली में आदिम जनजाति के आवेदकों का आवेदन अमान्य किये जाने की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया गया,

ii- माननीय सदस्या, श्रीमती गीता कोड़ा द्वारा कम कीमत पर किसानों को धान बेचे जाने पर मजबूर किये जाने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया,

क्र०प०उ०

iii- आज दिनांक-05.02.2019 को पूर्व से निर्धारित झारखण्ड विधान सभा-11 तथा पत्रकार-11 के बीच होनेवाले मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में भाग लेने वाले विधानसभा के प्रतिभागियों के नामों की घोषणा आसन द्वारा की गयी,

iv- माननीय सदस्या, श्रीमती गीता कोड़ा ने महिलाओं को भी तरजीह दिये जाने की ओर आसन के माध्यम से विभागीय मंत्री का ध्यानाकृष्ट किया तत्पश्चात् माननीय मंत्री द्वारा महिलाओं के लिए बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया,

v- माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल ने उप विकास आयुक्त, राँची द्वारा माननीय सदस्यों को 50 लाख रुपये के तहत ली जानेवाली योजनाओं के सम्बन्ध में पत्र भेजे जाने पर आपत्ति दर्ज की गयी जिसपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी,

vi- माननीय सदस्य, श्री शिवशंकर उरांव द्वारा गुमला में फूल व्यवसायी के हत्यारों को अबतक गिरफ्तार नहीं किये जाने की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

6.ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें:-

i- श्री चम्पाई सोरेन एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii- श्री केदार हजरा एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii- श्री राम कुमार पाहन एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iv- श्रीमती सीता सोरेन एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

v- श्री जगरनाथ महतो, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

vi- श्री जीतू चरण राम एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

vii- प्रो० जय प्रकाश वर्मा एवं अन्य स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

7.सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना:-

माननीय सभापति, श्री निर्भय कुमार शाहाबादी द्वारा सभा नियम-216(1) के तहत जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति का 5वाँ प्रतिवेदन आसन की अनुमति से सभा पटल पर रखा गया।

8.वित्तीय कार्य:-

पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, श्री नीलमण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों खण्ड-(06) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग), योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग), गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), विधान सभा, योजना सह वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय

एंव निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग), मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, विधि विभाग तथा योजना सह वित्त विभाग (राष्ट्रीय बचत प्रभाग) सभा में प्रस्तुत किया गया जिसपर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव ने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

आसन ग्रहण करने के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रेस सलाहकार समिति द्वारा उन्हें समर्पित प्रतिवेदन (वर्ष-2017-18) सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी सूचना सदन को दी गयी।

9.वित्तीय कार्य(क्रमांक-08 से जारी):-

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय व्ययक में सम्मिलित अनुदान की माँगों पर माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा चर्चा प्रारम्भ की गयी। इसके उपरांत चर्चा में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लिया-

श्री अमित कुमार मण्डल,
श्री कुणाल षडंगी,
श्री केदार हजरा,
श्री सुखदेव भगत,
श्री लक्ष्मण टुडू एवं
श्री अरुप चटर्जी।

इसके उपरांत माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने सरकार की ओर से उत्तर दिया तत्पश्चात् **''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)''** में सम्मिलित **माँगें** ध्वनिमत से सभा द्वारा बारी-बारी से गिलोटिन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई और माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव के कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(इस क्रम में अधिकांशत: विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन का परित्याग किया गया।)

10.विधायी कार्य:-

राजकीय (वित्त) विधेयक, झारखण्ड विनियोग (02) विधेयक, 2019

माननीय प्रभारी मंत्री, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड- 02 एवं 03, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् **''झारखण्ड विनियोग (02) विधेयक, 2019''** सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

इसके बाद सभा की कार्यवाही **बुधवार, दिनांक-06 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न** तक के लिए स्थगित की गयी ।

महेन्द प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 05 फरवरी, 2019 ई०।